ऑन लाईन नं. RCMS 2023/210

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 35/2023

1. मोहनलाल पुत्र श्री लेखराम जाति सहारण निवासी चक 12 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति शर्मा निवासी चक 12 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. रामकरण पुत्र श्री लेखराम जाति सहारण निवासी चक 12 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. जरिये प्रशासक, ग्राम पंचायत चौधरी चेतराम वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. चिकित्सा अधिकारी, उपस्वास्थ्य केन्द्र चौधरी चेतरामवाला 12 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2023 ग्राम पंचायत चौधरी चेतरामवाला जिसकी रूह से अप्रार्थी द्वारा बिना भूखण्ड संख्या अंकित किये 60x70 फुट का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से गलत रूप से पंचायत राज नियम 157 के अन्तर्गत गलत रूप से जारी किया गया जिसे निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. अधिवक्ता गुरजीत सिंह वानर गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश ::

दिनांकः 25.03.2025

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानीकर्ता का परिवार ग्राम पंचायत चौधरी चेतरामवाला 12 एसपीएम के स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण के पूर्वज इसी गांव के पुराने निवासी है। प्रार्थी गांव के जागरूक नागरिक है। प्रार्थी के गांव में उक्त विवादित स्थल पर मन्दिर पिछले 50 वर्षो से बना हुआ है जिसमें लोगों की काफी आस्था है। पिछले कई दिनों से मन्दिर का निर्माण कार्य चल रहा है इस दौरान सरपंच ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौका पर किये गये निर्माण को रूकवाने की कोशिश की गई और बताया गया कि इस जगह का पट्टा उप स्वास्थ्य केन्द्र 12 एसपीएम के नाम से दिनांक 20.07.2023 को बुक संख्या 129 का पट्टा संख्या 88 नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया हुआ है जिस पर पट्टा की जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा सरपंच को कहा गया कि आप द्वारा गलत जारी कर दिया गया है तो सरपंच ग्राम पंचायत ने कहा कि मैने तो पट्टा जारी करना था आपको जो करना है कर लो। पट्टा के सम्बन्ध में जानकारी

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

होने पर पट्टा की नकल प्राप्त कर प्रार्थीगण के द्वारा बिना किसी देरी से उक्त निगरानी निम्न आधारों पर पेश की जा रही है :–

1. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 20.07.2023 को विधि विरूद्व तरीके से जारी किया गया है जो बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की पालना के विपरीत बिना किसी जांच के विधि के विपरीत होने के कारण एकपक्षीय तौर पर जारी किये गये है जो खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्ण रूप से जानकारी में था कि चौधरी चेतरामवाला 12 एसपीएम में विवादित जगह पर मन्दिर बना हुआ है जिसमें लोगों की पूर्ण रूप से आस्था है फिर भी बिना कानूनी प्रावधानों किये गये उक्त पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी कर दिया गया है, जबकि नियम 157(1) का प्रारूप 23 क के अन्तर्गत किसी संस्था को भूखण्ड आवंटित नहीं किया जा सकता है। सरकारी संस्थाओं को नियम 159 के अन्तर्गत आवंटन किया जा सकता है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा किया गया आवंटन प्रथमदृष्टया ही अवैध है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि नियम 157 के अन्तर्गत पुराने गृहो का नियमितीकरण का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत 50 वर्ष से अधिक या 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो का 100/–रूपये या 200/–रूपये की राशि जमा करवाकर प्रारूप 23 क,ख के अन्तर्गत पट्टा जारी किये जाने प्रावधान है जो प्रावधान राजकीय आवंटन पर लागू नहीं होते पर जिस जगह पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आवंटन किया गया है उस जगह पर पिछले 50 वर्षो से मन्दिर बना हुआ है जिसमें लोगों की आस्था है। अगर मौका पर सरपंच द्वारा कोई जबरदस्ती की जाती है तो लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने की पूर्ण सम्भावना है और शान्ति भंग होने का भी अन्देशा है इसलिये उक्त नियम विरूद्व आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है।
4. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आवंटन से पूर्व ना तो कोई आवेदन प्राप्त किया गया है ना ही मौका निरीक्षण फीस जमा करवाई गई , ना ही कोई नक्शा पास करवाया गया, ना ही कोई नक्शा अनुमोदन करवाया गया , ना ही पंचों की कमेटी बनाई जाकर आवंटन की जाने वाली जगह के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट मंगवाई गई कि उक्त जगह आवंटन योग्य है या नहीं, ना ही कोई सार्वजनिक रूप से आपत्ति नोटिस जारी किया गया, ना ही कोई प्रस्ताव या आज्ञाए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पारित की गई। केवल मात्र गुपचुप तरीक से बाजार से आवासीय भूमि का पट्टा प्रारूप 23 व नियम 157(1) खरीदकर गुपचुप तरीके से पटटे काट दिये गये। पंचायत राज अधिनिमय के नियम 142 से 157 की पूर्ति नहीं की गई है। इसलिये भी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 20.07.2023 निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि जो पटट्ा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है उसमें भूखण्ड के सम्बन्ध में आसा पासा में किनके मकान स्थित है व भूखण्ड संख्या भी अंकित नही है कोई स्पष्ट नहीं किया गया है व पट्टा की पुश्त पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है नियम 157(1) के अन्तर्गत खाली भूखण्ड का आवंटन नहीं किया जा सकता। कब्जा होना आवश्यक है। इसलिये भी उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

6. यह कि उक्त निगरानी बिना किसी देरी के श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। विवादित स्थल पर विवाद होने की पूर्ण सम्भावना है। मौका पर निर्माण कार्य चल रहा है जिसे ग्राम पंचायत इस विवादित पट्टे की आड़ में रूकवाना चाहती है। प्रार्थीगण का ममला प्रथम दृष्टया बनता है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है इसलिये मौका की स्थिति यथावत बनाये रखना अति आवश्यक है। मौका की फोटो अवलोकन के लिये प्रस्तुत है।

अतः निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2023 ग्राम पंचायत चेतरामवाला 12 एसपीएम जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में मन्दिर की जगह का गलत रूप से बिना भूखण्ड संख्या व आसा पासा अंकित करते हुये पंचायत राज नियम 157(1) के अन्तर्गत आवंटन किया गया है को निरस्त किया जावें।

निगरानी से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया गया है एवं गैरनिगरानीकर्तागण को तलब किया गया।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि:–

1. मान्यवर जी प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानीकर्ता का परिवार ग्राम पंचायत चौधरी चेतरामवाला 12 एसपीएम के स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण के पूर्वज इसी गांव के पुराने निवासी है। प्रार्थी गांव के जागरूक नागरिक है। प्रार्थी के गांव में उक्त विवादित स्थल पर मन्दिर पिछले 50 वर्षो से बना हुआ है जिसमें लोगों की काफी आस्था है। पिछले कई दिनों से मन्दिर का निर्माण कार्य चल रहा है इस दौरान सरपंच ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौका पर किये गये निर्माण को रूकवाने की कोशिश की गई और बताया गया कि इस जगह का पट्टा उप स्वास्थ्य केन्द्र 12 एसपीएम के नाम से दिनांक 20.07.2023 को बुक संख्या 129 का पट्टा संख्या 88 नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया हुआ है जिस पर पट्टा की जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा सरपंच को कहा गया कि आप द्वारा गलत जारी कर दिया गया है तो सरपंच ग्राम पंचायत ने कहा कि मैने तो पट्टा जारी करना था आपको जो करना है कर लो। पट्टा के सम्बन्ध में जानकारी होने पर पट्टा की नकल प्राप्त कर प्रार्थीगण के द्वारा बिना किसी देरी से उक्त निगरानी पेश की जा रही है।
2. मान्यवर जी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 20.07.2023 को विधि विरूद्व तरीके से जारी किया गया है जो बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की पालना के विपरीत बिना किसी जांच के विधि के विपरीत होने के कारण एकपक्षीय तौर पर जारी किये गये है जो खारिज किये जाने योग्य है।
3. मान्यवर जी अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्ण रूप से जानकारी में था कि चौधरी चेतरामवाला 12 एसपीएम में विवादित जगह पर मन्दिर बना हुआ है जिसमें लोगों की पूर्ण रूप से आस्था है फिर भी बिना कानूनी प्रावधानों किये गये उक्त पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी कर दिया गया है, जबकि नियम 157(1) का प्रारूप 23 क के अन्तर्गत किसी संस्था को भूखण्ड आवंटित नहीं किया जा सकता है। सरकारी संस्थाओं को नियम 159 के अन्तर्गत आवंटन किया जा सकता है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा किया गया आवंटन प्रथमदृष्टया ही अवैध है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

4. मान्यवर जी नियम 157 के अन्तर्गत पुराने गृहो का नियमितीकरण का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत 50 वर्ष से अधिक या 50 वर्ष के दौरान बने पुराने मकानो का 100/–रूपये या 200/–रूपये की राशि जमा करवाकर प्रारूप 23 क,ख के अन्तर्गत पट्टा जारी किये जाने प्रावधान है जो प्रावधान राजकीय आवंटन पर लागू नहीं होते पर जिस जगह पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आवंटन किया गया है उस जगह पर पिछले 50 वर्षो से मन्दिर बना हुआ है जिसमें लोगों की आस्था है। अगर मौका पर सरपंच द्वारा कोई जबरदस्ती की जाती है तो लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने की पूर्ण सम्भावना है और शान्ति भंग होने का भी अन्देशा है इसलिये उक्त नियम विरूद्व आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

5. मान्यवर जी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आवंटन से पूर्व ना तो कोई आवेदन प्राप्त किया गया है ना ही मौका निरीक्षण फीस जमा करवाई गई , ना ही कोई नक्शा पास करवाया गया, ना ही कोई नक्शा अनुमोदन करवाया गया , ना ही पंचों की कमेटी बनाई जाकर आवंटन की जाने वाली जगह के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट मंगवाई गई कि उक्त जगह आवंटन योग्य है या नहीं, ना ही कोई सार्वजनिक रूप से आपत्ति नोटिस जारी किया गया, ना ही कोई प्रस्ताव या आज्ञाए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पारित की गई। केवल मात्र गुपचुप तरीक से बाजार से आवासीय भूमि का पट्टा प्रारूप 23 व नियम 157(1) खरीदकर गुपचुप तरीके से पटटे काट दिये गये। पंचायत राज अधिनिमय के नियम 142 से 157 की पूर्ति नहीं की गई है। इसलिये भी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 20.07.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित इंतकाल तलब किया गया। जिसमें उक्त पट्टा के सम्बन्ध में स्थिति नियमानुसार है।

पट्टा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदन पत्र पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। आवेदन पत्र पेश करने की दिनांक अंकित नहीं है, पंचों की रिपोर्ट में मौका पर किसी प्रकार का निर्माण होना अंकित नहीं है। पट्टा पत्रावली के अधिकांश कॉलम खाली है। आज्ञों की प्रतियां पत्रावली में सलंग्न नहीं है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन में पंचायत राज नियम 1996 के नियमों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है।

6. मान्यवर जी जो पटट्ा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है उसमें भूखण्ड के सम्बन्ध में आसा पासा में किनके मकान स्थित है व भूखण्ड संख्या भी अंकित नही है कोई स्पष्ट नहीं किया गया है व पट्टा की पुश्त पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है नियम 157(1) के अन्तर्गत खाली भूखण्ड का आवंटन नहीं किया जा सकता। कब्जा होना आवश्यक है। इसलिये भी उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

7. मान्यवर जी उक्त निगरानी बिना किसी देरी के श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। विवादित स्थल पर विवाद होने की पूर्ण सम्भावना है। मौका पर निर्माण कार्य चल रहा है जिसे ग्राम पंचायत इस विवादित पट्टे की आड़ में रूकवाना चाहती है। प्रार्थीगण का ममला प्रथम दृष्टया बनता है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है इसलिये मौका की स्थिति यथावत बनाये रखना अति आवश्यक है। मौका की फोटो अवलोकन के लिये प्रस्तुत है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2023 ग्राम पंचायत चेतरामवाला 12 एसपीएम जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में मन्दिर की जगह का गलत रूप से बिना भूखण्ड संख्या व आसा पासा अंकित करते हुये पंचायत राज नियम 157(1) के अन्तर्गत आवंटन किया गया है को निरस्त फरमाया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि:-

1. यह कि प्रार्थीगण द्वारा एक निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2023 ग्रांम पंचायत चौधरी चेतरामवाला भूखण्ड साईज 60X70 फुट का पट्टा उपस्वास्थ्य केन्द्र चक 12 एसपीएम के नाम से जारी किया गया को निरस्त करवाने के लिए पेश की गई है।
2. यह कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2023 को स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई और बजट जारी किया गया और इन स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन भवन निर्माण होने तक राजकीय भवन या किराये के भवन में किया जाये इसकी सूचि जारी की गई और इस सूचि में ग्राम 12 एसपीएम का नाम भी था।
3. यह कि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सादुलशहर द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए भूमि का पट्टा उपलब्ध करवाने के लिए पत्र जारी किया गया और इसी पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत चौधरी चेतराम वाला द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 162(2) के अन्तर्गत भूमि का आवंटन कर उपस्वास्थ्य केन्द्र 12 एसपीएम के नाम पर पट्टा जारी किया गया जो नियमों के अनुसार सही जारी किया क्योंकि नियम 162(2) को अन्तर्गत सरकारी संस्थाओ को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकता है।
4. यह कि जिस जगह का आवंटन उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए किया गया है वह जगह पंचायत घर के लिए आरक्षित की गई थी जो गांव के नक्शे में भी दर्शायी गई है यह जगह काफी बड़ी है जिसके एक तरफ गांव वालों द्वारा पूर्व में मन्दिर बनाया हुआ है और दूसरी तरफ उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए साईज 60X70 फुट का पट्टा जारी किया गया है क्योंकि गांव में और कहीं पर भी पंचायत की खाली भूमि नहीं है, जहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जा सके यही एक मात्र जगह जहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगण केवल राजनैतिक द्ववेश के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र का विरोध कर रहे है।
5. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा जो आधार निगरानी में लिये गये है वो गलत व निराधार है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 162(2) में पट्टा जारी किया गया जो नियमानुसार सही जारी किया गया है इसलिए निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है।
6. यह कि पंचायत घर की जो काफी बड़ी जगह है उसके एक तरफ मन्दिर बना हुआ है। उप स्वास्थ्य केन्द्र दूसरी तरफ बनाया जाना है जिससे मन्दिर को कोई नुकसान नहीं होगा केवल मात्र मन्दिर की आड़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनने से रोकने के लिए यह निगरानी पेश की गई जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचातय चौधरी चेतराम वाला द्वारा भूखण्ड साईज 60X70 फुट का पट्टा उप स्वास्थ्य केन्द्र चक 12 एसपीएम के नाम से जारी किया गया के विरूद्व पेश की गई निगरानी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2023 को स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर बजट जारी किया गया। इन स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन भवन निर्माण होने तक राजकीय भवन या किराये के भवन में किया जाये इसकी सूचि जारी की गई उक्त सूचि में ग्राम 12 एसपीएम का नाम भी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.06.2023 की पालना में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सादुलशहर द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए भूमि का पट्टा उपलब्ध करवाने के लिए पत्र जारी किया गया जिसकी पालना में ग्राम पंचायत चौधरी चेतराम वाला द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 162(2) के अन्तर्गत भूमि का आवंटन कर उपस्वास्थ्य केन्द्र 12 एसपीएम के नाम पर पट्टा जारी किया गया जो नियमों के अनुसार सही जारी किया क्योंकि नियम 162(2) को अन्तर्गत सरकारी संस्थाओ को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकता है। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता यह कथन कि ग्राम पंचायत द्वारा उपस्वास्थ्य केन्द्र चौधरी चेतरामवाला ग्राम 12 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को नियम 157 के अन्तर्गत पुराने गृहो का नियमितीकरण के तहत पट्टा जारी किया गया है निराधार है क्योंकि ग्रांम पचांयत द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के साथ कार्बन कापी पट्टा जो जारी किया गया है वह नियम 162(2) को अन्तर्गत सरकारी संस्थाओ को निशुल्क भूमि का आवंटन के नियमों के तहत जारी किया गया है जो नियमों की पालना करते हुए जारी किया जाना पाया जाता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर